न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
25 A.../2021	14.02.2021	14.05.2022

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद

उनवान

1— राबिया वेगम पत्नी शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादिनी)

वनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादिनी की ओर से — श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

वादिनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

यह कि ग्राम महराना तहसील दीगोद में वादिनी के खाते में खसरा नम्बर 1 की 1.26 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमावन्दी सम्वत् 2074—2077 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि को वादिनी ने पूर्व खातेदार से खरीद किया था। विक्रय पत्र में वादनी का निवास स्थान का पता सुल्तानपुर अंकित किया हुआ था किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादनी का निवास स्थान सहवन से मण्डावरा अंकित कर दिया है जो गलत है।

यह कि वादिनी ग्राम सुल्तानुपर की निवासनी है और वादिनी का आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड , पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड वना हुआ है जिसमें वादिनी का निवास स्थान का पता सुल्तानुपर अंकित है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का निवास स्थान सुल्तानपुर के स्थान पर सहवन से मण्डावरा अंकित कर दिया है जिसके कारण वादिनी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा ण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं हो रही है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिका[illegible] की निवास स्थान मण्डावरा के स्थान पर सुल्तानपुर दर्ज किया [illegible] किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादिनी ने प्रतिवादी [illegible] कई मर्तबा [illegible] किया तथा अन्त में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

27.01.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

कि ग्राम महराना पटवार हल्का खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 1 की 1.26 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का निवास स्थान मण्डावरा के स्थान पर सुल्तानपुर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादिनी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1— नकल फोटा प्रति जमाबन्दी ग्राम महराना
2— नकल फोटो प्रति विक्रय पत्र
3— नकल आधार कार्ड
4— नकल पेन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जाकर विशेष कथन किया है कि वादिनी ने उक्त खाते में निवास स्थान का पता मण्डावरा के स्थान पर सुल्तानपुर दर्ज करवाना चाहती है। वादिनी ने उक्त भूमि जर्ये विक्रय पत्र प्राप्त की है और मुताविक विक्रय पत्र वादिनी के निवास स्थान का पता सुल्तानपुर दर्ज है। अतः वादिनी के निवास स्थान का पता मण्डावरा के स्थान पर सुल्तानपुर किया जानें की अनुशंषा की है।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाव प्रतिवादी सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस वादिनी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादिनी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादिनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

वादिनी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब सरकार से स्पष्ट होता है कि वादिया का निवास स्थान गलत दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से वादिनी का निवास स्थान मण्डावरा के स्थान पर सुल्तानपुर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम महराना पटवार हल्का खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 159 में खसरा नम्बर 1 की 1.26 हैक्टर कृषि भूमि में वादिया का निवास स्थान का पता मण्डावरा के स्थान पर सुल्तानपुर दर्ज [illegible] व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकरण को आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में रखा गया। पत्रावली में वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा उपखण्ड अधिकारी दीगोद की अभिशंषा के आधार पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर , ग्राम महराना पटवार हल्का खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 159 में खसरा नम्बर 1 की 1.26 हैक्टर कृषि भूमि में वादिनी का निवास स्थान मण्डावरा के स्थान पर सुल्तानपुर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमे आम में सुनाया गया।

14.5.22
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– राबिया बेगम पत्नी शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादिनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादिनी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नं ...../2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादिनी का वाद पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम महराना पटवार हल्का खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 159 में खसरा नम्बर 1 की 1.26 हैक्टर कृषि भूमि में वादिनी का निवास स्थान का पता मण्डावरा के स्थान पर सुल्तानपुर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 14.05.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner